न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 10 /बी–121/2015–16

: आदेश ::

(आज दिनांक 03/11/2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 22.09 2015 को घटनास्थल ग्राम कोसदुना (ट्रेक्टर से दुर्घटना होने पर) तहसील जोबट मे होने से. दिनेश पिता इन्द्रसिंह निवासी जाति भिलाला कोसदुना तहसील जोबट की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत एवं एफ.आई.आर. पी.एम., मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के वारिशान में उसके पिता श्री इन्दरसिंह पिता भदु निवासी जाति भिलाला निवासी ग्राम कोसदुना को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल, दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

SH
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क्र/ /रीडर/2015 — अलीराजपुर दिनांक......03/11/2015

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर ।
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट।
5 तहसीलदार तहसील जोबट।
6 श्री इन्दरसिंह पिता भदु निवासी जाति भिलाला निवासी ग्राम कोसदुना तह.जोबट।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर